संख्या– 198 / XXX(2) / 2016

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून , दिनांक 08 अगस्त, 2016

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत् अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देव दत्त बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, सुखदेव सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा प्रभु दयाल खण्डेलवाल बनाम अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य में यह निर्णय पारित किया गया है कि प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को सभी प्रकार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ यथा उत्कृष्ठ, अतिउत्तम, उत्तम, संतोषजनक, अच्छा तथा प्रतिकूल प्रविष्टियाँ संसूचित की जायेगी और उसके विरूद्ध संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों से प्रत्यावेदन प्राप्त करके उसका निस्तारण किया जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के आलोक में ही शासन द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा / सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 दिनांक 28.04.2015 को निर्गत की गयी है जिसके अनुसार प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को उसकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ संसूचित किये जाने, उसे विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के संबंध में व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने के बाद भी विभागों द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों में अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति बाधित होने पर कतिपय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दायर की गयी हैं। शासन द्वारा नियमावली प्रख्यापित किये जाने के बाद प्रत्येक विभागों का यह दायित्व है कि प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को निर्धारित समय में संसूचित कर दिया जाये।

क्रमश.....2

3– अतः इस संबंध में यह निवेदन है कि कृपया कार्मिक विभाग द्वारा नि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामल का निपटारा) नियमावली, 2015 में किये गये प्राविधान के अनुसार अपने नियन्त्रणाधीन विभागों के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि उक्त नियमावली में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत संसूचित करते हुये उनसे प्रत्यावेदन प्राप्त करके निर्धारित समय के-अन्तर्गत उक्त नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां संसूचित न होने और प्रत्यावेदन का अवसर प्राप्त न होने के कारण पदोन्नति से वंचित न होना पड़े।

4– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः /XXX(2)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

क्रम संख्या–79

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 ई0

वैशाख 08, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 155/XXX(2)/2015–30(39) 2014

देहरादून, 28 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यवादेन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 को अधिक्रमित करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–